कुटम्बी व्यभिचार और पोक्सो अधिनियम की नियंत्रण की सीमाएं भीलवाड़ा जिले के न्यायायिक प्रकरण का एक विधिक अध्ययन

*आकांक्षा शर्मा

फिर एक गुड़िया वहशी नजरों की हो गई शिकार
फिर देश, समाज और इंसानियत हो गई शर्मशार

शोध सारांश

घर बच्चों के लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान होता है और परिवार के लोगों को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन अपराधों में वृद्धि के साथ ही अनाचार/बलात्कार के रूप में बच्चों/महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकाश में आ रहे है। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों रिश्तेदारों शिक्षकों और परिचितों के द्वारा किए गए यौन अपराधों के शिकार हो रहे हैं। उनकी उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है । कमी कभी हम अनाचार की खबरें सुनते हैं जो अपने आप में जघन्य हैं। इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तथा बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों का ख़तरा को कम करने के लिए POCSO अधिनियम 2012 पारित किया गया है जिसमे बच्चो के खिलाफ यौन कृत्य (चाहे लड़की हो या लड़का) एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। प्रस्तुत लेख में हमनें अनाचार के विभिन्न अपराधों और इसके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है जिसमें इसकी व्यापकता की व्याख्या की गई है। अनाचार को रोकने के विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा की गई है जो हर माता. पिता (प्राकृतिक और गोद लेने वाले) को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पालन करना चाहिए POSCO के अलावाए भारतीय दण्ड संहिता व दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भी अनाचार/बलात्कार को भी अपराध माना है।

इसके अलावा अनाचार पीडीतों की शिकायतों को दूंर करने के लिए POCSO अधिनियम सजा की अवधि को बढ़ाने और कम करने में एक महत्पूर्ण भूमिका निभा रहा है। माता पिता अपने बच्चों को दुनिया में लाते हैं और उनके जैविक माता पिता बन जाते हैं, लेकिन कई बार देखभाल करने के स्थान पर शोषण करते है, अपने तत्काल यौन सन्तुष्टि के लिए खासकर बच्चों का शोषण करते हैं यहॉ बच्चों में दोनो लडका लडकी सम्मलित है क्योंकि पुत्रियों के साथ साथ पुत्र के साथ भी दुराचार किया गया है तथा उसे भी बलात्कार का ही रूप माना जाता है।

परिचय

यह कहना सही है कि घर सबसे सुरक्षित जगह है क्योंकि वहाँ बच्चे, महिलाएँ, भाई.बहन और उनके माता.पिता होते है। ये ही जीवन में सबसे भरोसेमंद लोग है। लेकिन समय के साय भारतीय परिवारों में विश्वास टूट गया है। बच्चे और युवतियॅा अनाचार/ बलात्कार के जाल का शिकार हो रही है। अनाचार/बलात्कार के कई मामले सामने आ रहे है। कई पारिवारिक यौन शोषण के मामले तो डर व लज्जा के कारण सामने ही नहीं आते है। हालाँकि कोई भी धर्म माता–पिता या भाई–बहनों को बच्चों के यौन संबंध की अनुमति नहीं देता है।

एक परिवार में मानदंडों से परे यौन संबंधों को अनाचार अवैध व आपत्तिजनक है माना जाता है जो समाज व धार्मिक जगत में यह एक जघन्य पाप है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, में अनाचार व बलात्कार के विशेष प्रावधान है जो बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है।

धर में ही हो रहे अपराधों से संबन्धित अनेक उदाहरण आये दिन अखबारों में पढने को मिलता है परन्तु पिता द्वारा ही अपनी बच्ची के साथ यौन अपराध कारित कर देना एक दिल को दहलाने वाला मामला है।

पिता शब्द है संरक्षण व रक्षा का जिसे कंलकित किया एक पिता ने एक अमानवीय व संवेदनशील मामला जो भिलवाडा जिले का है जिसने मानवता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे है या अपनी पशुतर प्रवृत्तियों का विकास कर रहे है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

इस प्रकरण में बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा ने पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को इस आशय की रिर्पोट पेश की साढे सात वर्षीय बालिका के कथनानुसार उसके पिता ने उसके साथ यौन हिंसा की है। बालिका के रेप संबंधी मेडिकल करवाया गया तथा कानूनी कार्यवाही करवाकर मुकदमा दर्ज हुआ। प्रथमतया अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया आरोपी का कथन था कि घरवालों से उसका लड़ाई झगड़ा हैं उसके कम कमाने की वजह से उसकी पत्नी पुत्री को लेकर चली गई पर वह अपनी पुत्री को अपनी पत्नि के इच्छा के बिना लेकर आ गया जिससे उसके परिवार वाले व पुत्री उसके खिलाफ हो गये और इसी नाराजगी से उसे झूठे मुकदमे मे फंसाया गया और उसने अपनी पुत्री का यौन शोषण नहीं किया है।

बचाव पक्ष ने कोई साध्य पेश नहीं किये। न्यायालय ने पिड़िता को सुना तो साक्ष्य मिला कि पिता पुत्री को तलवार से डराता और धमकाता था और उसके कब्जे से तलवार भी बरामद की गयी जिसका पिता के पास कोई वैध लाइसेंस व परमिट नहीं था। विशिष्ठ लोक अभियोजक ने बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने अपनी ही पुत्री को हवस का शिकार बनाया है। पीड़िता बिना बात इतना बड़ा इलजाम अपने ही पिता ये लगायेगी इसका भी साक्ष्य नहीं निकल कर आया। अभियुक्त का न परिवार वालों की नारागजी का सिद्ध हो रहा था । यदि पिड़िता द्वारा उक्त कारण से तर्क भी काल्पनिक अपने ही पिता पर दुष्कर्म का गलत आरोप लगा रही है तो पीड़िता के अंतवस्त्र पर पाया गया मानव वीर्य अभियुक्त के रक्त समूह का न होता।

पीड़िता का शारिरिक परीक्षण करने वाली चिकित्सक की साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि पिड़िता के गुप्तांग पर खरोंच के निशान थे और दर्द की शिकायत उनका कहना था कि पिड़िता के साथ जबरन प्रवेश की कोशिश की गई थी इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन की कहानी का समर्थन करता है। पीडिता की बडी मम्मी के अनुसार ''वे उसे कहते थे कि बुरे काम करेगी तो बहुत पैसे मिलेंगे और अच्छी बनेगी, उसके पिता उसके कपडे उतारते थे, अपने कपडे भी उतारते और उसके साथ गलत काम करते थे जिससे उसके पेशाब करने की जगह पर खून आ गये। उसने पडौस की ममता आंटी को सबसे पहले यह बात बताई फिर ममता आंटी ने उसकी बडी मम्मी को यह बात बताई । उसके पिता जब उसके साथ गलत काम करते तो उसने विरोध किया जिस पर उन्होने कहा कि वे उसे तलवार से काट देंगे। उसके पिता उसके साथ गलत काम उसके पेशाब करने की जगह पर करते थे । उसने पुलिस को अपने घर पर रखी तलवार बताई जिससे उसके पिता उसे डराते थे।''

पीड़िता के बड़े पापा बडे मम्मी तथा पड़ोसी ने भी यौन हिंसा की पाष्ट दी और बताया कि बच्ची पिता की मोजूदगी मे डरी सहमी रहती थी । बच्ची के पिता के डर से ही मौसी के घर में छिप गयी।

दोषी करार हेतु साक्ष्य एवं आधार

(a) पीड़िता का मौखिक साक्ष्य

(b) पीड़िता का शारीरिक परीक्षण करने वाली चिकित्सक की राय।

(c) पीड़िता के गुप्तागों पर पाई गयी लालिमा व खरोंच के निशान Foresic Science Lab की जैविक रिर्पोट व

(d) DNA Report

न्यायालय का निर्णय

पिड़िता इतनी छोटी होते हुए भी मौखिक साक्ष्य में विचलित नहीं हुयी और इसकी पुष्टि पड़ौसी द्वारा की गई जिसे पीड़िता ने सबसे पहले घटना बताई। इस प्रकार पीड़िता की मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया। विकित्सक की राय अनुसार पीड़िता के साथ जबरन प्रवेशन की कोशिश की गयी थी । यद्यपि चिकित्सक ने कहा कि हायमन अक्षुण्ण या इस संदर्भ में चिकित्सा के अनुसार इसे बलात्कार की श्रेणी में रखना उचित समझा गया रिर्पोट से पता लगा कि धब्बे अभियुक्त के रक्त समूह के है जिससे यह स्पष्ट है कि पीड़िता के वस्त्रों पर पाया गया मानव वीर्य अभियुक्त का ही है और यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि पिड़िता का बलात्कार उसी के पिता द्वारा किया गया। पीड़िता एक सात वर्षीय बालिका है उसका मन प्रबोध है किसके बालमन से यह कल्पना नहीं कि जो सकती है पिता से द्वेष पालेगी और द्वेष का बदला इसलिए लेने का प्रयास करेगी कि वे उसे अपनी माता से छिनकर ले आये थे।

''दण्ड की मात्रा निर्धारित करने के समय न्यायालय को मात्र अभियुक्त को केन्द्र में नहीं रखना होता हैं वरन् पीडित और दण्ड से समाज में प्रसारित संदेश पर भी विचार करना होता है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अपनी ही अबोध 7 वर्षीय पुत्री के प्रति हैं। स्वंय की 7 वर्षीय बालिका के साथ ऐसा व्यक्ति ही यौन हिंसा कर सकता हैं जिसके मस्तिष्क में हवस एक आंनद का रूप ले चुकी होती हैं और उस आनन्द को प्राप्त करने के लिए वह बालक के कोमल शरीर को माध्यम बनाने में भी परहेज नहीं करता हैं। सामान्य रूप से परिवार में पुत्री पिता की लाडली होती हैं और वह अपनी माता के मुकाबले पिता से ज्यादा स्नेह करती हैं और कमो बेश यहीं स्थिति पिता की भी होती हैं। अभियुक्त ने अपनी ही पुत्री को हवश का शिकार बनाकर उसका जीवन ही नर्क बनाने का प्रयास नहीं किया हैं वरन् पिता पुत्री के रक्त एवं विश्वास परक रिश्तो को शर्मशार करने का जघन्य कृत्य किया हैं। ऐसे अपराधी का स्थान समाज में न होकर कारवास में ही हैं। अभियुक्त के प्रति यह सोचकर कि उसका समाज की मुख्य की धारा से जुडना संभव हैं अत्यधिक नरमी का रूख अपनाया जाना किसी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं हैं। अभियुक्त को गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला एवं बलात्कार का दोषी ठहराया गया है।

धारा 6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दण्डनीय अपराध धारा 376 क (ख) इसी प्रकार धारा 42 पोक्सो अधिनियम के अनुसार ऐसे अपराध के मामले में अपराधी यौन अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम या भा.द.सं. के अधीन उस दण्ड, जो कि उच्चतर डिग्री का हैं, का दायी होगा। धारा 376 कख भा.दं.सं. में विहित दण्ड धारा 6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में विहित दण्ड से उच्चतर डिग्री का हैं

क्योकि धारा 6 यौन अपराधो ं से बालको ं का संरक्षण अधिनियम के अपराध में न्युनतम दण्ड 10 वर्ष एवं अधिकतम दण्ड आजीवन कारावास एवं जुर्माना हैं जबकि धारा 376 कख के अपराध में न्यूनतम दण्ड 20 वर्ष एवं अधिकतम दण्ड जुर्माना एवं आजीवन कारावास हैं जिससे उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन की शेष अवधि अभिप्रेत हैं या मृत्युदंड हैं । इसलिए अभियुक्त को धारा 376 कख भादं.सं. के अपराध के लिए ही दण्डित किया जा रहा हैं । अभियुक्त ने जघन्य अपराध किया हैं लेकिन उसका अपराध दुर्लभतम में से दुर्लभ की श्रेणी में नहीं आता हैं।

दण्डादेशः

1 अपराध अंतर्गत धारा 376 कख भा0दं0सं0 के लिए आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) 4 एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश

2 अदायगी जुर्माना अभियुक्त दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा।

(2) धारा 75 किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के अपराध के लिए 03 वर्ष के कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदे श प्रदान किया जाता हैं। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त छः माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा। क (3) अभियुक्त द्वारा दौराने अन्वेषण एवं विचारण पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानोनुसर मुल सजा समायोजित की जावे। सभी सजाऐ ं साथ–साथ चलेगी''।

इस प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि समाज के बदलते परिवेश के चलते बालक व बालिका अपने घर पर भी कई बार सुरक्षित नहीं रह पाते। वर्तमानं विधि उपयुक्त व पर्याप्त है इन विधियों के प्रावधानों को और कठोर बनाने की जरूरत नहीं है। आज के समय में बच्चों एवं माता पिता को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है।

यदि कानून को अधिक कठोर बना भी दिया जाये तो भी ऐसे अपराध जो मानवीय न हो कर पशुवत होते है को कुछ फर्क नहीं पडता। हमें चाहिये कि हर परिवार में शिक्षा का प्रसार हो ताकी छोटी उम्र से बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में ज्ञात हो जाये। आवश्यकता है कि ऐसी मेकेनिज्म को विकसित किया जाये ताकी किसी भर धर में कोई ऐसा हादसा अथवा होने की सम्भावना हो को अपराध कारित होने से पूर्व ही रोक लिया जावे। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया इतनी सरल व सुलभ है जरूरत जागरूकता की क्योकि हमारे हमारे आस पास के श्रेत्र में बच्चों हेतु हर पुलिस स्टेशन पर कुइ स्वयं सेवीयों की टीम बनानी चाहिये ताकी हर धर की खबर पुलिस को समय पर प्राप्त होती रहे। आज के परीवेश में कुछ लोग अपने बच्चों को अपने पारिवारिक मित्रों जानकारों के भरोसे बच्चों को छोड देते है उन पर युक्तियुक्त बंदिशें होनी चाहिये।

इस प्रकरण में भी समाज के प्रति भी सवाल खड़ा किया है कि अन्य परिवाजन व पड़ोसी ने भी ठोस कदम उठाने से देरी की जिससे बच्ची ओर भी सदमे में चली गयी । बच्ची का अस्तित्व खतरे में चला गया।

हमारे कानून के सजग प्रहरी उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णेयों से समाज में अपराधियों से डरने की अपेक्षा पीडित की मदद करने चाहिये। परमानन्द कटारा जैसे प्रकरणों से न्यायालय ने ऐक्सीडेन्ट से घायल व्ययिक्त को तुरन्त मेडिकल सहायत प्राप्त करवाने हेतु प्रोत्साहित किया है अब किसी भी सहायता करने वाले से कुछ भी सवाल नहीं पुछे जाते। इसी प्रकार POCSO अधिनियम में भी धारा 19 की उपधारा में वर्णित है कि इस घारा के प्रयोजन के लिए सद्भावनापूर्वक जानकारी देने के लिए कोई भी व्यक्ति चाहे वह दिवानी हो या आपराधिक कोई दायित्व नहीं होगा तथा उसे अनायस परेशान नहीं किया जाता। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानसुार पीडिता व उससे सम्बन्धित

लोगो के नाम व अन्य जानकारी भी गुप्त रखें जाते है तथा जानकारी अपराध की जानकारी देने वाले को भी कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है।

अतः इस विधिक अध्ययन से लेखक ने धर में ही हो रहे बच्चों को यौन शोषण से बचाने व सुरक्षित करने व उनके भविष्य को अन्धकार से मुक्त करने हेतु सरकार के साथ स्वयं सेवी संस्थाऐ को आगे आकर इस अधिनियम के उदेश्यों को प्राप्त करने में मदद करनी चाहीये।

***शोधार्थी**
विधि विभाग
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर (राज.)

संदर्भ

1. https://rkalert.in
2. Came into force w.e.f 14-11-2012
3. Parmanand Katara v. Union of India SC 1989 Air, 1989 scr
4. निपुण सक्सेना बनाम भारत संध 2019 (2) सू.को.केसेस 703